प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

10 मार्च 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ‘‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, योजना के आरम्भिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण चिंताओं’’ संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 2016 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 39 पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, योजना के आरम्भिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण चिंताओं आज संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, योजना के आरम्भिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण चिंताओंको समाकलित करने का एक योजना यंत्र है। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 1994 की अपनी अधिसूचना, जो सितम्बर 2006 में संशोधित की गई थी, के माध्यम से कुछ विकासीय परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अनापत्ति को अनिवार्य कर दिया था।

‘पर्यावरणीय अनापत्ति तथा पश्च अनापत्ति निगरानी’ की निष्पादन लेखापरीक्षा यह जांच करने का प्रयास है कि क्या पर्यावरणीय अनापत्ति देने की प्रक्रिया और निर्धारित प्रक्रिया के साथ उसका अनुपालन सामयिक और पारदर्शी रीति में किया जाता है और कि क्या परियोजना प्रस्तावक, पर्यावरणीय निर्बाधनों की शर्तों का अनुपालन करते हैं।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया

मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदत्त परियोजनाओं के डाटाबेस में जैसे कि आरम्भ में राष्ट्रीय सूचना सेल से प्राप्त आकड़े (अगस्त 2015) और अक्तूबर 2016 में बाद में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गईंविसंगतियां देखी गई। वहाँ कुछ विसंगतियाँ थी जैसे

कि वर्ग 'बी' परियोजनाओं का वर्ग 'ए' परियोजनाओं के साथ शामिल करना, क्षेत्रीय गलत वर्गीकरण, परियोजनाओं के स्थान को गलत दर्शाना। डेटाबेस में ईआईए प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में लिया गया समय शामिल नहीं था।

(पैराग्राफ 2.2)

पर्यावरणीय अनापत्ति देने की प्रक्रिया मेंसंन्दर्भ शर्तों, लोक परामर्श, पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट का निर्धारण तथा मंत्रालय द्‌वारा पर्यावरणीय अनापत्ति देना शामिल है। 216 परियोजनाओं में से केवल 14 प्रतिशत परियोजनाओं में 60दिनों की निर्धारित समयसीमा के अंदर संन्दर्भ शर्त दिया गया था, जबकिअन्य में 365 दिनों तक विलम्ब हुए थे। 11 प्रतिशत मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति 105 दिनोंकी निर्धारित समयसीमा के अंदर दिया गया था, जबकिअन्य परियोजनाओं में विभिन्न चरणों जैसे अंतिम पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्टों की संवीक्षा, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्‌वारा आवेदन के मुल्यांकन, सक्षम अधिकारी के समक्ष विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों तथा परियोजना प्रस्तावकों के बारे में मंत्रालय का निर्णय देने जैसे विलम्ब हुए थे।

(पैराग्राफ 2.3)

25 प्रतिशत मामलों में पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्टों ने सन्दर्भ शर्तों का पालन नहीं किया था तथा 23 प्रतिशत मामलों में उन्होंने रिपोर्ट की सामान्य संरचना का भी पालन नहीं किया था। पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व संचयी प्रभाव अध्ययनों को अनिवार्य रुप से आवश्यक नहीं बनाया गया था, इससे क्षेत्र में अनेक परियोजनाओं का पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव का पता नहीं था। मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन जारी करने में नियत प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और जो कार्यालय ज्ञापन जारी हुए थे वे मूल अधिसूचना के प्रावधानों को और कमजोर करते थे।

(पैराग्राफ 2.5, 2.6तथा 2.7)

मंत्रालय ने स्वतंत्र, उद्देश्यपरकतथा पारदर्शी मूल्यांकन और पर्यावरणीय निर्बाधनों के लिए परियोजनाओं के अनुमोदन तथा पर्यावरणीय निर्बाधनों में निर्धारित शर्तों के कार्यावयन की निगरानी करने के लिए जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने जुलाई 2011 में विचार दिया था, राष्ट्रीय स्तर पर नियामक की अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है।

(पैराग्राफ 2.11)

एक ही जैसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय संदर्भ शर्तों तथा निर्बधनों में समानता नहीं थी। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट अप्राधिकृत सलाहकारों द्‌वारा तैयार पाई गई थीं।

(पैराग्राफ 2.12 तथा 2.13)

अंतिम पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट/पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में समयबद्ध रीति में अपने वचनबद्धताएं पूरी करने एवं सुनिश्चित करने तथा स्थानीय लोगों की चिंताएं शामिल करने हेतु परियोजना प्रस्तावकों के पास कोई प्रावधान नहीं था। लोक सुनवाई प्रक्रिया में कोरम तथा लोक सुनवाई प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रेजीडेंसी की अर्हतानहीं थी। लोक सुनवाई के दौरान पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में परियोजना प्रस्तावकों द्वारा की गई वचनबद्धताओं की निगरानी नहीं की गई इसके अलावा लोक सुनवाई के दौरान व्यक्त किए गए संदेहों को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टों में शामिल नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 2.14)

पर्यावरण अनापत्ति की सामान्य शर्तों का अनुपालन

13 सामान्य पर्यावरण अनापत्ति शर्तों के संबंध में, परीक्षित परियोजनाओं में, अनुपालन चार से 56 प्रतिशत के बीच था।

(पैराग्राफ 3.1)

पर्यावरण प्रबंधन योजना कार्यकलापों (26 प्रतिशत मामलों), उद्यम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों (20 प्रतिशत मामलों) तथा हरित पट्टी के विकास (47 प्रतिशत मामलों) पर व्यय में कमी हुई थी।पर्यावरण प्रबंधन योजना लागू करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना 64 प्रतिशत मामलों में बनाई ही नहीं गई।

(पैराग्राफ 3.2 तथा 3.4)

56 प्रतिशत मामलों में पेड़ काटने के लिए परियोजना प्रस्तावकों द्वारा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। 19 प्रतिशत मामलों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना भूजल उपयोग किया गया। 10 प्रतिशत मामलों में पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने के बाद कार्य का स्कोप ही बदल दिया गया।

(पैराग्राफ 3.5, 3.6 तथा 3.7)

19 प्रतिशत मामलों में वार्षिक पर्यावरण लेखापरीक्षा रिपोर्ट परियोजना प्रस्तावकों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समीतियों को प्रस्तुत नहीं की गई तथा सात प्रतिशत मामलों में पर्यावरण अनापत्ति की मंजूरी से पहले ही निर्माण/प्रचालन आरम्भ कर दिये गये।

(पैराग्राफ 3.8 तथा 3.9)

पर्यावरण अनापत्ति की विशेष शर्तों का अनुपालन

18 विशेष पर्यावरण अनापत्ति शर्तों के संबंध में परीक्षित परियोजनाओं का अनुपालन 5 से 57 प्रतिशत के बीच था।

(पैराग्राफ 4.1)

57 प्रतिशत मामलों में वनस्पति तथा जंतुओं के संरक्षण की कार्ययोजना की तैयारी तथा अनुरक्षण की कमी थी। 29 प्रतिशत मामलों में वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण नहीं किया गया था। 22 प्रतिशत मामलों में परियोजनाओं द्वारा प्रभावित लोगों के लिए राहत तथा पुनर्वास में कमी देखी गई थी।

(पैराग्राफ 4.5, 4.8 तथा 4.10)

33 प्रतिशत मामलों में फ्लाईएश का अनुचित भण्डारण देखा गया था। उत्पन्न फ्लाईएश का उपयोग न करना भी 21 प्रतिशत मामलों में देखा गया था।

(पैराग्राफ 4.13 तथा 4.16)

निर्देशकूड़ा डाम्पिंग स्थानों में कूड़े का समेकन तथा संकलन 33 प्रतिशत मामलों में नहीं किया गया था। सिंचाई परियोजनाओं में जलसंग्रहण क्षेत्र संसाधन का कार्यांवयन 56 प्रतिशत मामलों में नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 4.17 तथा 4.20)

परियोजना प्रस्तावकों द्वारा ईसी के अनुपालन की निगरानी

98 परियोजनाओं में पर्याप्त जनशक्ति के साथ अलग निगरानी कक्ष स्थापित करने का अनुपालन हुए थे। 71 परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तवकों द्वारा पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी में कमियां हुई थीं। 201 परियोजनाओं में तीसरी पार्टी/एजेंसियों द्वारा निगरानी में अपर्याप्ताएं हुई थीं।

(पैराग्राफ 5.2, 5.4 तथा 5.5)

गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की कार्य योजना

मंत्रालय ने व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक संगणित करने के लिए तीसरी पार्टी के माध्यम से गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में द्विवार्षिक पर्यावरणीय गुणवत्ता निगरानी नहीं की थी।

(पैराग्राफ 6.2)

पांच राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने कार्ययोजनाएं तैयार नहीं की थीं तथा आठ राज्यों ने कार्य योजनाओं के कार्यांवयन की निगरानी नहीं की थी। 10 राज्य प्रदूषण

नियंत्रण बोर्डों द्वारा कार्य योजना के कार्यांवयन की तीसरी पार्टी निगरानी नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 6.3 तथा 6.7)

मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ईसीज के अनुपालन की निगरानी

41 की संस्वीकृत संख्या के एवज में पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों की निगरानी करने के लिए केवल 15 वैज्ञानिक उपलब्ध थे। क्षेत्रीय कार्यालयों को दोषी पीपीज के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं तथा उन्हें पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों के उल्लंघन को मंत्रालय को सूचित करने पड़ते थे।

(पैराग्राफ 7.5 तथा 7.6)

मंत्रालय के पास उसके द्वारा प्राप्त मामलों जहां क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उल्लंघन सूचित किए गए का डाटाबेस नहीं था। गत दो वर्षों में पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों का उल्लंघन करने के लिए मंत्रालय द्वारा शास्तिनहीं लगाई गई थी।

(पैराग्राफ 7.8)

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा पर्यावरणीय अनापत्तियोंके अनुपालन की निगरानी

पश्च पर्यावरणीय अनापत्ति निगरानी से संबन्धित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना 2006 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघराज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों को सुस्पष्ट उत्तरदायित्व नहीं सौंपें गए थे।

(पैराग्राफ 8.2)

11 मामलों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियां यह सुनिश्चित करने में समर्थ नहीं थी कि परियोजनाएं स्थापित करने की क्या वैध सहमति थी तथा चार मामलों में प्रचालन की सहमति बिना चल रही थी।

(पैराग्राफ 8.4)

24 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों के पास पर्याप्त निधियां होने के बावजूद निगरानी करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना तथा जनशक्ति नहीं थीं।

(पैराग्राफ 8.6)

सिफ़ारिशें

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैः

i. एमओईएफएंडसीसी डाटाबेस के पुनर्वैधीकरण के लिए एनआईसी के परामर्श से उचित कार्रवाई करे और उन परियोजनाओं की सही तस्वीर पर पहुँचे जिनको मंत्रालय द्वारा ईसी दिए गए हैं।

ii. ईसी देने में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एमओईएफएंडसीसी को ईआईएके अधिसूचना के अनुसार समय सीमा का पालन करने के साथ प्रकियाओं को सरल और कारगर बनाए।

iii. एमओईएफएंडसीसी को ईआईए रिपोर्टों की संवीक्षा करते समय यहसुनिश्चित करें कि वे टीओआर के अनुसार हैं, सामान्य ढांचे का पालन करती हैं, बेसलाइन डाटा सही है और लोक सुनवाई के दौरान उठाई गई चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है।

iv. एमओईएफएंडसीसी कार्यालय ज्ञापनों का सहारा लेने के बजाय, सभी भागीदारों को शामिल करके, कानूनी प्रक्रियायें अपनाकर ईआईए की संपूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन करे और ईआईए अधिसूचना में उचित संशोधन करे।

v. एमओईएफएंडसीसी केवल पिछले ईसी की शर्तों का अनुपालन सत्यापित करने के बाद ही पीपी को नए सिरेसे ईसी प्रदान करें।

vi. एमओईएफएंडसीसी अपने कोयला लिंक्ड खान ताप तथाधातुकर्म परियोजनाओं के ईसी के लिए जारी परिपत्र 2010 का पालन करे ताकि निश्चित कोयला लिंकेज(संधि) उपलब्ध हो और कोयला स्रोतों यानि जुड़ी कोयला खान/कोयला ब्लॉक की पर्यावरण तथा वानिकीमंजूरी ज्ञात हो।

vii. एमओईएफएंडसीसी समान प्रकार की परियोजनाओं में असमानता से बचने के उद्देश्य सेईसी की शर्ते परियोजना की प्रकृति तथा प्रकार के अनुरुपबनाने पर विचार करे।

viii. ईआईए रिपोर्टों/ईसी पत्रों में उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा के साथ ईएमपी तथा ईएसआर के अंतर्गत कार्यकलापों की लागत का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

ix. एमओईएफएण्डसीसीपश्च ईसी देने के बाद तीसरी पार्टी से मूल्यांकन के साथ वन/कृषि विभाग के परामर्श से हरित पट्टी के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र और लगाई जाने वाली प्रजातियों पर ईएमपी/ईसी शर्त (र्तें) अधिक विशिष्ट करने पर विचार करें।

x. एमओईएफएण्डसीसी भूजल निकालने की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड/राज्य एजेंसियों को प्रत्येक परियोजना पर जारी ईसी पत्र की एक प्रति भेजने पर विचार करें।

xi. एमओईएफएण्डसीसी ईसी में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन की सख्ती से समय-समय पर निगरानी के लिए आरओ, सीपीसीबी, एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी तथा राज्य सरकारों के अन्य विभागों के समन्वय से रणनीतियाँ बनाएँ।

xii. एमओईएफएण्डसीसी तथा एसपीसीबी परियोजना के ईसी में लगाई शर्तों की निगरानी करने के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाने और अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्टों तथा पर्यावरण विवरणों की कुछ प्रतिशत जांच के लिए अनुसूची विकसित करने पर विचार करें।

xiii. एमओईएफएण्डसीसी पर्यावरणीय प्राचलों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए प्रस्तावक द्वारा लगाए जाने वाले पद/पदों के नाम तथा संख्या उल्लिखित करने हेतु उचित शर्त लाने पर विचार करें।

xiv. एमओईएफएण्डसीसी निगरानी केन्द्रों के प्रतिष्ठापन और वायु, सतही जल, भूजल,ध्वनि आदि के संबंध में विभिन्न पर्यावरण प्राचलों की निगरानी की बारंबारता पर अनिवार्य ईसी शर्तें लाने पर विचार करें।

xv. एमओईएफएण्डसीसी एसपीसीबी के परामर्श से पर्यावरणीय प्राचलों की तीसरी पार्टी से परीक्षण को सत्यापित करने के लिए पीपी के परिसर में एसपीसीबी द्वारा आकस्मिक जांच की प्रणाली आरंभ करने पर विचार करे।

xvi. एमओईएफएण्डसीसी नियमित अंतरालों पर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र की कार्ययोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को परामर्शी जारी करें।

xvii. एमओईएफएण्डसीसी यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें कि अनुपालना रिपोर्टें नियमित रूप से तथा समय से प्राप्त हो और पीपी तथा मंत्रालय द्वाराअपनी वैबसाइटों परअपलोड की जाएं।

xviii. एमओईएफएण्डसीसी संबन्धित आरओ में वैज्ञानिकों की अपेक्षित संख्या रखने के लिए शीघ्र उपाय करें।

xix. दोषी पीपी के विरुद्ध कार्वाई करने के लिए एमओईएफएण्डसीसी को आरओको अधिकार सौंपकर एक प्रणाली बनानी चाहिए।

xx. एमओईएफएण्डसीसी में एक प्रणाली होनी चाहिए जहाँ आरओ से प्राप्त उल्लंघन की रिपोर्टों को आरओ के समन्वयन में संकलित किया जाएं और लगातार निगरानी हो ताकियह सुनिश्चित किया जा सके कि पीपी ईसी की शर्तों का पालन करें और कानून के मुताबिक कर्रवाई करें।

xxi. एमओईएफएण्डसीसी ईसी पत्र तथा ईआईए रिपोर्टों में की गई वचनबद्धताओं के अनुपालन की निगरानी का उत्तरदायित्व स्पष्टतयासौंपने के तौर तरीके बनाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी करें।

xxii. एमओईएफएण्डसीसी परियोजना प्रस्तावों को सीटीई तथा सीटीओ देने के बाद आवधिक निगरानी के लिए एसपीसीबी/यूटीपीसीसी को परामर्शी जारी करें।

xxiii. एमओईएफएण्डसीसी एसपीसीबी की अवसंरचना तथा जनशक्ति मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दे ताकि क्षेत्राधिकारों में चल रही परियोजनाओं की ईसी शर्तों की उचित निगरानी कर सकें।